संख्या- 11/2015/जी0आई0-02 /अड़तीस-9-2015-08(एल0सी0)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 24 मार्च, 2015**

विषय- उप निर्वाचन-2015 की अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त सांसद निधि/विधायक निधि/स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि (फण्ड) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-437/6/1/2015-सी0सी0 एण्ड बी0ई0/746, दिनांक-10.03.2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-निर्वाचन-2015 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जिससे आदर्श आचार संहिता दिनांक-10.03.2015 से प्रभावी हो गयी है। अत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि/ स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि (फण्ड) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही निर्वाचन आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जायेगी।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-11/2015/ जी0आई0-2 (1) / अड़तीस -9-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-437/6/1/2015-सी0सी0 एण्ड बी0ई0/746, दिनांक-10.03.2015 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/पंचायती राज विभाग/समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in